...यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

...द/प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
5/019	136 L.R.Act	खेरखेड़ा खुर्द	छबड़ा

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
रामकिशन	बनाम	सरकार

वकील :- भंवर सिंह चौहान एडवो. **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
18/01/019	अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रा०पत्र अन्तर्गत धारा 136 L.R.Act विरुद्ध अप्रार्थी के इस न्यायालय में पेश किया। रिपोर्ट खरिस्ता का अवलोकन किया, प्रमाण दर्ज रजि. किये जावें तथा अप्रार्थी गण को जरिये सम्मन तलब कर पत्रावली दिनांक 19/2/019 को पेश हो।	
19/2/19	अभिभाषक गणों की हड़ताल आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 13-3-019 को पेश हो। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	
13/3/19	अभिभाषक गण द्वारा न्यायालय का बहिष्कार ~~आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में~~ व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनांक 3/04/019 को पेश हो। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	
3/4/019	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। तहसीलदार से रिपोर्ट आवश्यक। लिखा जावे। वास्ते रिपोर्ट पत्रावली दिनांक 8/5/019 को पेश हो।	
8/5/19	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनांक 12-6-19 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी	

20/5/22 के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार इकड़ा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार इकड़ा ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पटवारी इकड़ा द्वारा ग्राम डास्यारेवड़ी की खाता संख्या 68, 19, 20 व 85 तथा ग्राम खेरखेड़ा भूरा की खाता सं० 82, 49, 81 में प्रार्थीगण रामकिशन, गेंदू कौर के पिता का नाम श्रीया, श्रीराम व श्रीलाल दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी इकड़ा व ILR अनुसार श्रीया, श्रीराम व श्रीलाल एक ही व्यक्ति के नाम है। जिसका सही नाम श्रीलाल था है। अतः राजस्व रिकार्ड में श्रीया, श्रीराम के स्थान पर श्रीलाल सही नाम दर्ज करने की अनुशंसा की जाती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन करने पर पाया कि ग्राम डास्या रेवड़ी के खाता सं० 68 में प्रार्थी के पिता का नाम श्रीया, खाता संख्या 20 व 19 में प्रार्थी के पिता का नाम श्रीराम तथा खाता संख्या 85 में भी श्रीराम दर्ज होना पाया जाता है।

इसी प्रकार ग्राम खेरखेड़ा भूरा में खाता संख्या 82 में प्रार्थी के पिता का नाम श्रीया, खाता सं० 49 में भी श्रीया एवं खाता संख्या 81 में श्रीया होना पाया जाता है। जबकि पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज वोटर आईडी, आधार कार्ड, में प्रार्थीगण के पिता का नाम श्रीलाल दर्ज होना पाया जाता है।

प्रार्थीगणों द्वारा इस न्यायालय में अपने पिता का नाम श्रीया, व श्रीराम के स्थान पर सही शुद्ध नाम श्रीलाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने का निवेदन किया है।

अतः तहसीलदार इकड़ा रिपोर्ट एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार प्रार्थीगणों के पिता का नाम श्रीया व श्रीराम के स्थान पर सही शुद्ध नाम श्रीलाल किया जाना उचित होगा।

राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 L.R Act के तहत ग्राम डास्यारेवड़ी के खाता संख्या 68, 19, 20 व 85 एवं खेरखेड़ा भूरा में खाता संख्या

वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध
20 5/22	82, 49 व 61 में प्रार्थी के पिता का नाम श्रीया व श्रीराम के स्थान पर शुद्ध नाम श्रीलाल उर्फ श्रीया एवं श्रीलाल उर्फ श्रीराम दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबड़ा को दिये जाते है। तदनुसार तहसीलदार छबड़ा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। निर्णय प्रति TDR को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। **उपखण्ड अधिकारी** **छबड़ा जिला बाराँ (राज.)**	